भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 655

गुरुवार, दिनांक 04 फरवरी, 2021 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>विद्युत (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियम</u>

655. प्रो॰ अच्युतानंद सामंतः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार उद्योगों की प्रतिक्रिया के आधार पर विद्युत (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियम, 2020 में बदलाव करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट सौर ऊर्जा के लक्ष्य के अनुरूप कार्य चल रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में वर्तमान में छत पर सौर ऊर्जा क्षमता का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, विद्युत राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख): विद्युत (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियमावली, 2020 पर उद्योग से प्राप्त फीडबैक की जांच की जा रही है और उचित परामर्श करके समुचित संशोधन किए जाएंगे।

(ग) और (घ): देश में वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट की अक्षय ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है जिसमें 100 गीगावाट का लक्ष्य सौर विद्युत के माध्यम से है।

देश में वर्ष 2022 तक 100 गीगावाट की सौर विद्युत क्षमता हासिल करने के लक्ष्य की तुलना में लगभग 37.47 गीगावाट क्षमता की स्थापना की जा चुकी है, 36.69 गीगावाट क्षमता क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में है और 18.46 गीगावाट क्षमता निविदा की प्रक्रिया में है। इस प्रकार, 92.62 गीगावाट सौर विद्युत क्षमता या तो स्थापित है या प्रक्रियाधीन है।

(ङ) राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.12.2020 की स्थिति के अनुसार, देश में वर्तमान रूफटॉप सौर विद्युत क्षमता लगभग 3.73 गीगावाट है।

*****